ORIGINAL RESEARCH PAPER

Geography

KEY WORDS:

हरियाणा में कृषि से संबंधित मुख्य समस्याएँ एवं उनके समाधान हेतु सुझाव

डॉ. राजकुमार महला एम.ए., पीएच.डी. (भूगोल)

प्रस्तावना

हरियाणा को इसका वर्तमान नाम मध्यकाल के प्रारंभ में दिया गया था। हरियाणा शब्द के अर्थ का जहाँ तक संबंध है, अलग–अलग लोग इसकी अलग–अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। एक विद्वान ने इस नाम का श्रेय राजा हरिशचन्द्र को दिया है, जो कथित रूप से अवध से आए थे तथा हरियाणा को बसाया था। उनके आने का कोई समय नहीं बताया गया है। अतः हरियाणा नाम की उत्पत्ति हरिश्चन्द्र से मानी जाती है। एक अन्य विद्वान के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति 'हरि' शब्द हुई है। 'हरि' अर्थात् परशुराम जो इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन करने हेतु प्रसिद्ध हैं।

आज का हरियाणा 1966 से पहले पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तब इस भू–भाग के किसानों के साथ भेदभाव किया गया। उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलीं, जिसके वो हकदार थे। वैसे भी हरियाणा का बड़ा इलाका अनुउपजाऊ था। लेकिन हरियाणा राज्य की स्थापना के साथ ही यहां हरित क्रांति हुई, यहां के किसानों ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। राज्य में हरियाली और खुशहाली का आगाज हुआ। जल्दी ही राज्य देश के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाने लगा। लेकिन इस खुशहाली के साथ कई खतरे भी थे। जिसमें समय के साथ बदलाव जरूरी था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे आने वाली सरकारों ने नई कृषि तकनीक से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज किया। जबकी समय रहते जरूरी उपाए किए जाने चाहिए थे।

जबकि इस समस्या को लेकर देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी। स्वामीनाथन ने तो इस कृषि तकनीक को स्वार्थ साधने की खेती कहा था। अभी भी जो तरीका हरियाणा में इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे जमीन की उर्वरता के क्षरण का खतरा है। जमीन के उर्वराशक्ति का संरक्षण जरूरी है, जिससे लंबे समय तक खेती की जा सके। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। इससे न केवल उत्पादन को खतरा है बल्कि कैंसर सहित कई अन्य बीमारियों के होने की संभावाएं हो भीहै।

हरियाणा के लगभग सभी इलाकों में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। यह समस्या बिना सोचे–समझेभूजल के दोहन से उत्पन्न हुईहै। इतनाहीनहीं जल की गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ा है। राज्य सरकार कीतरफ से भूजल संरक्षण के पुख्ता उपाए नहीं किए जा रहे हैं। जिससे आने वाले दिनों में पीने के पानी की समस्या विकराल रुप धारण कर सकती है। पानी की इस समस्या का असर अन्न उत्पादन पर भी पड़ेगा। जिससे देश के एक बड़े भाग में समस्या उत्पन्न होने के पूर्ण आसार हैं।

हरियाणा तीन तरफ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से घिरा है। लेकिन इसका लाभ यहां के निवासियों को नहीं मिल रहा है। विकास के नाम पर केवल कंकरीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। खेतिहर जमीनों की भी विकास के नाम पर बलि चढ़ाई जा रही है। जहां कल तक उपजाऊ खेत होते थे, जिनमें फसल लहराया करतीं थीं, आज वहां इमारतें खड़ी की जा रही हैं। ऐसे में किसानों की मुख्य आजीविका उनके हाथों से छिन रही है।

हरित क्रांति से उपजी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार कहीं से भी जागरूक या चिंतित नहीं दिखती। जबकि आज न केवल कृषि में सुधार की जरूरत है, बल्कि जलसंरक्षण के लिए भी एक सुनियोजित लंबी योजना तैयार करने की आवश्यकता है। जिससे खेत और किसान दोनों का भला हो सके। और राज्य की पहचान भी जिंदा रह सके।

राज्य सरकार कृषि आधारित व्यवसाय को संरक्षण और बढ़ावा देने में असफल रही है। "देसों में देश हरियाणा जित दुध दही का खाना" यह उक्ति बहुत कुछ कह देती है। पशुपालन और डेरी उद्योग का विकास किया जाना बहुत जरूरी है। हरियाणा में पशुपालन की परंपरा रही है। राज्य में पशुधन पर्याप्त संख्या में है। लेकिन उनकी देख–रेख और समुचित प्रबंधन नहीं होने की वजह से इसका उचित लाभ नहीं मिल सका है। दिल्ली में रोजाना बड़ी मात्रा में दूध की आपूर्ति होती है। लेकिन दुःख की बात है कि यह दूध हरियाणा से दिल्ली के बाजार में नहीं पहुंचता है, बल्कि दिल्ली के लिए दूध राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जैसे दूर के इलाकों से पहुंचता है। जबकि भौगोलिक तौर पर दिल्ली से सटे होने के कारण इसका फायदा हरियाणा को मिलना चाहिए।

सबसे दुखद पहलू यह है कि हरियाणा सरकार आज राज्य के विकास के लिए विशेष आर्थिक जोन की जरूरत अधिक समझती है, जिसका लाभ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलने वाला है या यह भी कह सकते हैं कि मिलरहा है, जबकि कृषि और इस पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास से राज्य की 70 फीसदी जनता को फायदामिलता। इससे गांव से होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। हरियाणा की पहचान यहां के कृषि और किसानों से है। आज यहां का किसान और कृषि दोनों संकट में दिखते हैं। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो इसका केवल आर्थिक असर ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असर राज्यभर में दिखेगा, और इसकी भरपाई मुश्किल होगी।

हरियाणा में कृषि तथा कृषकों की मुख्यसमस्याएँ व सुझाव

फसल बीमा की समस्या

किसानों की फसलों का नुकसान होने पर केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी किसानों की रुचि कम होती जा रही है। योजना के मुताबिक, नुकसान होने पर किसान को दो महीने के अंदर भुगतान होना चाहिए, मगर किसानों को 06 महीने से लेकर एक साल तक पैसा मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हाल में आईआईएम अहमदाबाद के सेंटर ऑफ मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रदर्शन और मूल्यांकन' के अनुसार वर्ष 2017–18 में कुल 5.01 करोड़ किसानों ने बीमा के लिए नामांकन कराया था। यह संख्या वर्ष 2016–17 के मुकाबले 10 फीसदी कम रही। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा समेत कई राज्यों में बीमा के लिए नामांकन कराने में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर देश के किसानों की आम राय बनती जा रही है कि किसानों और सरकार का पैसा बीमा कंपनियां हड़प रही हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि फसल बीमा योजना से किसानों से ज्यादा कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है और वर्ष 2017–18 के खरीफ सीजन में इन बीमा कंपनियों का मुनाफा 85 फीसदी रहा।

सुझावः–

- फसल बीमा अपनाकर अपने आप को अनजाने प्राकृतिक जोखिम जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं,कीट–जीव एवं बीमारियां तथा प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं आदि से आर्थिक सुरक्ष प्रदान करे।
- अपने क्षेत्र में लागु उचित फसल बीमा योजना का लाभ उठायें। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम केअन्तर्गत इस समय देष में तीन बीमा योजनाएं संषोधित राष्ट्रीय कृशि बीमा योजना, मौसम आधारित'फसल बीमा योजना' तथा ष्काकोनेट पाम बीमा योजनाष् से कियान्वित की जा रही है।
- यदि आप अधिसूचित फसलों के लिए ऋण ले रहे हैं तो आपके लिए संषोधित राष्ट्रीय कृशि बीमायोजना/मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाना अनिवार्य है तथा गैर–ऋणीकिसानों के किए बीमा करवाना स्वैच्छिक है। फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिएनिकटतम बैंक षाखा/फसल बीमा कम्पनी से सम्पर्क करें।

नकलीबीज, उर्वरक और खाद की समस्या

अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन सही वितरण तंत्र न होने के चलते छोटे किसानों की पहुंच में ये महंगे और अच्छे बीज नहीं होते हैं। इसके चलते इन्हें कोई लाभ नहीं मिलता और फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अच्छी खेती का आधार अच्छे बीज होते हैं। अगर अच्छे बीजों का उपयोग हो तो उपज की पैदावार 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, मगर आज नकली बीज, उर्वरक और खाद का बाजार अपने देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ी–बड़ी कंपनियों के नाम पर दुकानों पर बेचे जा रहे ये नकली बीज व मिलावटी खाद का शिकार आम किसान बन रहे हैं। हाल में नकली बीज, खाद और उर्वरक में मिलावट करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में 'शुद्ध के लिए युद्ध' का अभियान चलाया गया, जबकि इससे पहले अक्टूबर में मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में नकली बीजों की वजह से 200 किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई।

किसानों को सभी फसलों में अच्छी उत्पादकता के लिए खाद उर्वरक का प्रयोग करना ही पड़ता है।इन खादों में किसान सबसे अधिक यूरिया एवं डी.ए.पी का प्रयोग करते हैं।समय–समय पर किसानों को उर्वरक की कमी होनेपर कई बार दुकानदारों के द्वारा मिलावटी खाद दे दिया जाता है जिससे फसलों के साथ साथ किसानों कोआर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है साथ पैदावार में भी काफी कमी आती है।

सुझावः–

- स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिष की गई किस्मों का उपयोग करे तथा बीज दर एवं दूरीअपनाये।
- गेहूं, धान, जौ, दलहन (अरहर को छोडकर) तिलहनों (सरसों, तोरिया एवं सूरजमुखी को छोडकर) केबीज 3 वर्श में एक बार, मक्की, बाजरा, ज्वार, अरहर, सरसों, तोरिया व सूरजमुखी के बीज 2 वर्श मेंएक बार एवं संकर/बी.टी. बीजों को प्रति वर्श बदलें
- हमेषा अधिकृत एजेन्सियों से ही प्रमाणित बीज खरीदें तथा इतना भण्डारण षीतल, सूखे एवं साफ जगहपर करे।
- बिजाई के लिए हमेषा उपचारित बीजों का उपयोग करे तथा बोने से पहले इनकी षुद्धता, गुणवत्ता एवंअंकुरण क्षमता आदि की जांच कर ले।

मिट्टी क्षरणकी समस्या

तमाम मानवीय कारणों से इतर कुछ प्राकृतिक कारण भी किसानों और कृषि क्षेत्र की परेशानी को बढ़ा देते हैं। दरअसल उपजाऊ जमीन के बड़े इलाकों पर हवा और पानी के चलते मिट्टी का क्षरण होता है। इसके चलते मिट्टी अपनी मूल क्षमता को खो देती है और इसका असर फसल पर पड़ता है।

किसानों के लिए मृदा का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि किसान इसी मृदा से प्रत्येक वर्ष स्वस्थ व अच्छी फसल की पैदावार पर आश्रित होते हैं बहते हुए जल या

वायु के प्रवाह द्वारा मृदा के पृथक्कीकरण तथा एक स्थान से दूसर स्थान तक स्थानान्तरण को ही मृदा अपरदन से प्रभावित लगभग 150 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्रफल है जिसमें से 69 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्रफल अपरदन की गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है। मृदा की ऊपरीसतह का प्रत्येक वर्ष अपरदन द्वारा लगभग 5334 मिलियन टन से भी अधिक क्षय हो रहाहै। देश के कुलभौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 57ः भाग मृदा ह्रास के विभिन्न प्रक्ररों से ग्रस्त है। जिसका 45ः जल अपरदन से तथा शेष 12ः भाग वायु अपरदन से प्रभावित है।

सुझावः–

- मिट्टी की जांच के आधार पर ही सही उर्वरक उचित मात्रा में ही डालें।
- मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग अवष्य करें।
- उर्वरक छिड़कने की बजाय जड़ो के पास डालें ताकि उर्वरक का पूरा असर रहे।
- फासफेटिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण और प्रभावी प्रयोग सुनिष्चित करें ताकि जड़ों तनों का समुचितविकास हो तथा फसल समय पर पके, विषेश रूप से फलीदार फसलें, जो मिट्टी को उपजाउ बनाने केलिए वायुमंडलीय नाईट्रोजन का उपयोग करती है।
- अमलीय भूमि के सुधार हेतू चूना और क्षारी/उसर भूमि के लिए जिप्सम आदि का प्रयोग करें।

खेती की बढ़ती लागत की वजह से कर्ज लेना मजबूरी

हाल में कई राज्यों में विधान सभा चुनाव के दौरान किसानों की कर्जमाफी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा और इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि कृषि संकट को खत्म करने के लिए कर्जमाफी ही वह ब्रह्मास्त्र है जिससे किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देश के कई राज्यों में कर्जमाफी हुई। इस पर भी कई राज्यों के किसानों ने असंतोष जताया कि उनका पूरा ऋण नहीं माफ किया गया। जबकि हकीकत यह है कि छोटे किसान खेती के लिए हर बार कर्ज लेने को मजबूर होते हैं और न चुका पाने पर किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा बदनाम हो चुका है। बीते साल मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य में सरकार बनते ही दस दिनों के अंदर किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था, मगर असलियत यह है कि अभी भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सका है।

सभी क्षेत्रों की तरह कृषि को भी पनपने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। तकनीकी विस्तार ने पूंजी की इस आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। लेकिन इस क्षेत्र में पूंजी की कमी बनी हुई है। छोटे किसान महाजनों, व्यापारियों से ऊंची दरों पर कर्ज लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में किसानों ने बैंकों से भी कर्ज लेना शुरू किया है। लेकिन हालात बहुत नहीं बदले हैं।

सुझावः–

- अपने आपको सूदखोरों के चंगुल से मुक्त रखने के लिए किसान बैंकों से कृशि ऋण की सुविधा प्राप्तकर सकते हैं।
- किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सुविधा देष भर के फैले वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीयग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के विषाल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है।
- बैंक ऋण का समय से भुगतान सुनिष्चित करें।
- किसानों का अपने ऋण का समुचित ब्यौरा रखना चाहिए।

सारांश

उपरोक्त वर्णित समस्याओं के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए ज्ञान तथा जानकारी के टुकड़ों में हस्तांतरित करने की परंपरागत प्रणाली अपर्याप्त है। विस्तार मशीनरी की वर्तमान गतिविधियों, दृष्टिकोण तथा संरचना में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि विस्तार परामर्शों पर नई दृष्टि से ध्यान देते हुए कार्यक्रम तैयार किए जा सके और कार्य प्रणाली को तदनुसार पुनः निर्धारित किया जा सके। यह आवश्यक है कि हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यनीति पर ऐसी सोच विकसित करें जो ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं तथा उनकी आकांक्षाओं पर आधारित हो।

हरियाणा राज्य में कृषि विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना बद्ध रूप से प्रयास किया जा रहा है। कृषकों को जिला प्रशासन के प्रयासों से आसान किश्तों एवं न्यूनतम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कृषि में तकनीकों एवं मशीनों को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे जिले में कृषि का समुचित विकास हो सके। कृषि कार्य में लगे लोगों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हुई है।

मैं समझता हूं कि कृषि विस्तार की कृषि का उत्पादन बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने, ग्रामीण आजीविका को सुधारने तथा गरीबों के आर्थिक विकास का वाहक बनकर कृषि को बढावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे परिदृश्य पर नजर डालने पर मैं यह महसूस करता हूं कि विस्तार की हमारी युक्तियों के साथ–साथ इससे संबंधित दृष्टिकोणों को भी नया रूप देने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धा लाकर व इसे फायदेमंद बनाकर उभरती हुई चुनौतियों से निपटा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

- हरियाणा सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2019–20๔अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
- ।कस्वां एन.आर. 2007, अन्लस ऑफ दा राजस्थान ज्योग्राफिकल एसोसिएसन, वौल्यूम 24वां,भूगोलविभाग, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, पृ.सं. 81.
- ब्मदेने व ि।हतपबनसजनतम भ्वसकपदह पद भ्तलंदं "जंजमए 1971.72ए क्पतमबजवत स्ंदक त्मबवतके भ्तलंदंएबींदकपहंतीण
- बींकीए ळण् ज्ञणए 2006ए श्त्मचवतज वद जीम छंजपवदंस "मउपदंत वद ।हतपबनसजनतंस ळतवूजी पद जीम च्वेजत्मवितउ च्मतपवकरू त्महपवदंस च्मतेचमबजपअमशए जीम ळपतप प्देजपजनजम व ि क्मअमसवचउमदज "जनकपमेए स्नबादवूएडंतबी 27.29
- ब्ूंदए जीवउें ;2018द्ध जीम नतइंद अपससंहमए ंहतंतपंद जतंदेवितउंजपवदए ंदक तमदजपमत बंचपजंसपेउ पद ळनतहंवदए प्दकपंण ।दजपचवकमण् ैम् त्मेमंतबी व्दसपदमए ैछ 0066.4812ए चचण् 1द्23 ;प्द च्तमेेद्ध